16

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएं।

राजस्व (ग्रुप-8) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 3, 1983

संख्या एफ. 11 (12) रेवेन्यू/8/78 :--यतः राज्य सरकार [illegible] विचार है कि यह क्षेत्र जिसकी अवस्थिति तथा सीमाएं [illegible] विनिर्दिष्ट हैं, [illegible] (गेवेलिस गेन्गेटिक्स) और [illegible] (क्रोकोडीलस पेलुस्ट्रिस) की जाति तथा अन्य वन्य [illegible] को संरक्षित करने, प्रजनित करने तथा विकसित करने [illegible] प्रयोजन के लिए और उसके पर्यावरण के लिए पर्याप्त पारिस्थितक [illegible] संबंधी महत्व का है;

[illegible] जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का [illegible] अधिनियम 53) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का [illegible] हुए, राज्य सरकार, इसके द्वारा राजस्थान राज्य के [illegible] निम्नलिखित क्षेत्र को अभ्यारण के रूप में घोषित करती है। [illegible] राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण के रूप में जाना जायगा।

अवस्थिति तथा सीमाओं का विनिर्देश

[illegible] जवाहर सागर बांध से कोटा बैराज तक का चम्बल [illegible] नदी का वह अनुभाग जिसका प्रवाह दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व [illegible] की ओर है। इसमें नदी के दोनों ओर के किनारों से 1000 [illegible] मीटर स्थित भूमि की पट्टी सम्मिलित है।

[illegible] केशोरायपाटन से पाली तक का चम्बल नदी का अनु-[illegible] नदी के दोनों ओर के किनारों से 1000 मीटर की [illegible] भीतर स्थित भूमि की पट्टी सम्मिलित है।

[illegible] पाली से आगे, जहां चम्बल नदी राजस्थान और [illegible] प्रदेश राज्यों के बीच सीमा बनाती है वहां नदी की मध्य-[illegible] बायें किनारे तक, तथा नदी के बायें किनारे के साथ साथ [illegible] राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के विभाजक बिन्दु [illegible] 1000 मीटर की दूरी के भीतर स्थित भूमि की पट्टी।

यह [illegible] विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7-12-79 [illegible] अतिक्रमण में जारी किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से,

ए. एम. लाल,

शासन सचिव।

कृषि (ग्रुप-2 व) विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, अगस्त 27, 1983

संख्या प. 10 (21) कृषि/ग्रुप-2/ब/82 :--जैसा कि राज-[illegible] राजस्थान कृषि उपज विपणि अधिनियम, 1961 [illegible] की उप-धारा 2 के खण्ड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों [illegible] द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति संख्या प. 10 (18) कृषि 2 [illegible] 0/85, दिनांक 19-7-82 के द्वारा कृषि उपज [illegible] पड़साना [illegible] उपरोक्त विज्ञप्ति द्वारा घोषित मंडी [illegible] मंडी स्थापित करने की वांछना की थी और अत-[illegible] मंडी समिति, पड़साना ने उपरोक्त मंडी क्षेत्र के [illegible] उपरोक्त अधिनियम के अभिप्राय हेतु राजस्थान राज-पत्र, [illegible] अप्रैल, 1977 में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या प. 10 [illegible] ग्रुप 2 ब/75, दिनांक 23 अप्रेल, 1977 के द्वारा [illegible] कृषि उपजों के क्रय एवं विक्रय के संबंध में एक मण्डी की स्थापना की है। इस प्रकार स्थापित मंडी इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से स्थापित समझी जायेगी।

अब तदनुसार उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राजस्थान सरकार घोषणा करती है कि मुख्य मंडी यार्ड से तात्पर्य वर्तमान मंडी से होगा, जिसकी सीमायें निम्न प्रकार होंगी :-

दक्षिण में :- दि पड़साना क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., पड़साना के गोदाम के दक्षिण-पश्चिम कोने से पशु चिकित्सालय के पूर्वी दक्षिणी कोने तक।

पूर्व में :- दुकान संख्या 135 से पशु चिकित्सालय के दक्षिण पूर्वी कोने तक।

पश्चिम में :- दुकान संख्या 1 से क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. पड़साना के दक्षिण-पश्चिम कोने तक होगी।

इसमें स्थित सभी दुकान, मकान व खाली भू-खण्ड आदि सम्मिलित होंगे।

पुनः उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राजस्थान सरकार विज्ञप्त करती है कि इस मंडी क्षेत्र में उपरोक्त मुख्य मंडी यार्ड की सीमाओं से लेकर उत्तर में बीकानेर-अनूपगढ़ सड़क व सतराना माईनर के जंक्शन से सतराना माईनर के साथ-साथ मुरब्बा संख्या 83/45 तक व वहां से मुरब्बा संख्या 103/5 तक।

दक्षिण में :- कूपली रोड

पश्चिम में :- बीकानेर-अनूपगढ़ सड़क व पड़साना-कूपली सड़क के जंक्शन से शुरू होकर बीकानेर-अनूपगढ़ सड़क के साथ साथ सतराना माईनर तक।

पूर्व :- मुरब्बा संख्या 103/5 से 104/2 के कीला संख्या 20 के उत्तर पश्चिमी कोने से मुरब्बा संख्या 104/18 के कीला संख्या 16 के उत्तर-पश्चिमी कोने तक व आगे दक्षिण की ओर कूपली रोड की सीमाओं तक कोई स्थानीय अधिकारी किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी और कोई अन्य व्यक्ति इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख पर या उसके पश्चात् उपरोक्त मंडी क्षेत्र के लिये विनिर्दिष्ट किसी भी कृषि उपज के क्रय अथवा विक्रय के लिये कोई स्थान नहीं जमायेगा, स्थापित करेगा या कायम करेगा अथवा जमाये जाने, स्थापित किये जाने व कायम रखे जाने की अनुमति नहीं देगा। आगे राजस्थान सरकार घोषणा करती है कि इस विज्ञप्ति में धारा 4 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित क्षेत्र मुख्य मंडी होगा। जैसा कि राजस्थान कृषि उपज विपणि अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (10) के अन्तर्गत परिभाषित है।

आज्ञा से,

श्याम दास भगत,

उप शासन सचिव।

12.12.79

16A

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE GRANT DEPARTMENT

NO.F.11(12)Rev.8/78 Jaipur, Dated

NOTIFICATION

Wheres the State Government considers that the area, situation and limits whereof are specified below, is of adequate ecological and faunal significance, for the purpose of protecting, propogating and developing the species of Gharial(Gavialis angeticus) and Crocodiles(Crocodilus palustris) and other wild life and its environment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 18 of the Wild Life(Protection) Act, 1972(Central Act 53 of 1972), the State Government hereby declares the undermentioned area in the State of Rajasthan as a sanctuary and to be known as the National Gavial Sanctuary.

SPECIFICATIONS OF SITUATION AND LIMITS

I. Section of the Chambal River from Jawahar Sagar Dam to Kota Barrage flowing in the direction from South West to North East including a strip of distance of 100 metres on either side of the banks of the river.

II. Section of the Chambal River from Keshoraipatan to Pali including a strip of land of 100 metres on either side of the banks.

III. From Pali onward where the river constitute common boundary between the States of Rajasthan and Madhya Pradesh from the mid stream of the river to the left bank as well as a strip of 100 metres along the left bank to the point of inter-section of inter-State border of Rajasthan, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh.

BY Order of the Governor,

Secretary to the Government.

P.T.O..2